यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, जनजाति कल्याण देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक, जनजाति कल्याण देहरादून** के माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **दीपक मालवीय एवं श्री भानु प्रताप सिंह** , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 16.08.2018 से 28.08.2018 तक श्री **ए सी कटियार, वरि0** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 19.07.2017 से 29.07.2017 तक श्री **राजबहादुर, वरिष्ठ** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जनजाति कल्याण विभाग की समस्त योजनाओ के कार्यकलापों का कार्य तथा इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	बचत/आधिक्य	आवंटन ₹	व्यय ₹	
2015-16	0.00	0.00	91.50	84.69	6.81	940.21	394.90	545.21
2016-17	0.00	0.00	119.60	95.16	24.44	1297.13	1289.18	7.95
2017-18	0.00	0.00	116.19	103.57	12.62	2731.36	2616.26	115.10

नोट : वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशियाँ शासन को समर्पित कर दी जाती है

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

योजना का नाम	2015-16			2016-17			2017-18		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	0.00	9045.54	6741.06	0.00	10403.72	8002.03	0.00	8995.85	8716.93
अनुसूचित जाति, जनजाति के दशमोत्तर छात्रवृत्ति	0.00	864.00	833.49	0.00	8956.00	4064.79	0.00	4921.73	4891.27
पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	0.00	726.00	700.99	0.00	675.00	45.37	0.00	1764.21	1390.39
पिछडी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25
अनु.जाति अत्याचार उत्पीड़न	0.00	18.75	17.81	0.00	13.02	7.395	0.00	30.00	30.00
नि शक्तजनों वैरियर फ्री व्यवस्था	0.00	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	50.06	50.06
डा0 अंबेडकर दशमेत्तर छात्रवृति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.31	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- सचिव, समाज कल्याण → निदेशक, → समाज कल्याण → जिला समाज कल्याण अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में निदेशालय, **जनजाति** कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, **देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।, **गौरा देवी योजना**, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देवी कन्याधन योजना आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनांतर्गत किये गये अधिकतम व्यय आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर-01 विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप राजकीय बालिका आश्रम पद्यति विद्यालय, गोठी, पिथौरागढ़ के निर्माण पर ₹ 252.94 लाख की धनराशि का परिहार्य व्यय।

कार्यालय निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखंड, देहारादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि राजकीय बालिका आश्रम पद्यति विद्यालय, गोठी, पिथौरागढ़ के निर्माण के संबंध में ₹ 490.30 के आगणन के सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांक 11023/02/2008-Education दिनांक-27.01.2011 के द्वारा उक्त धनराशि हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में ₹ 245.15 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2011-12 में अवमुक्त भी की गयी थी परंतु उक्त निर्माण कार्य हेतु पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पिथौरागढ़ को कार्यदायी संस्था मानते हुए ₹ 245.15 लाख की धनराशि के स्थान पर मात्र ₹ 7.90 लाख की धनराशि जुलाई 2012 में निर्गत की गयी जिस धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र भी उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा जनवरी 2013 में उपलब्ध करा दिया गया। तदुपरान्त शासन स्तर से जनवरी 2015 में उक्त निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था निर्धारित किया गया। उक्त निर्माण कार्य हेतु जनजाति कल्याण निदेशालय तथा उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन दिनांक 15 सितंबर 2016 को हस्ताक्षरित किया गया। जिसके अनुसार उक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा जून 2018 में पूर्ण करते हुए अगस्त 2018 में विभाग को हस्तगत कराया जाना था।

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि निदेशालय के पत्रांक 4212/ज.जा.क./आ.प.वि./भवन निर्माण/2014-15 दिनांक 21 फरवरी 2015 के द्वारा उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से उक्त निर्माण कार्य हेतु ₹ 1316.27 लाख की धनराशि के निर्मित आगणन के सापेक्ष ₹ 847.45 लाख की धनराशि अनुमोदित करते हुए योजना के अंतर्गत गत वित्तीय वर्षों की अवशेष धनराशि ₹ 41.62 लाख को घटाते हुए ₹ 805.83 लाख भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को अवमुक्त की गयी थी तदुपरान्त कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को पुनः संशोधित आगणन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा निर्देशित (जून 2015) किया गया।

उक्त के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा ₹ 855.46 लाख की धनराशि का संशोधित आगणन विभाग को उपलब्ध (जून-2015) कराया गया। जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 519/XVII-1/2016-11 (18) दिनांक 11/08/2016 द्वारा ₹ 743.24 लाख (निर्माण कार्य हेतु ₹ 706.80 लाख तथा अधिप्राप्ति कार्य हेतु ₹ 36.44 लाख) की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अगस्त 2016 से सितंबर 2017 तक उक्त निर्माण कार्य के संबंध में पूर्ण स्वीकृत धनराशि ₹ 743.24 लाख अवमुक्त की जा चुकी थी।

संप्रेक्षा के दौरान संबन्धित अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि संबन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा फरवरी 2018 तक उक्त धनराशि पूर्णरुपेण व्ययित भी कर ली गयी थी जबकि उक्त निर्माण कार्य से संबन्धित विद्यालय भवन की फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर तथा छात्रावास भवन की नींव का कार्य प्रगति पर दर्शाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में यह इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि जुलाई 2012 में पेयजल निर्माण निगम को शासन स्तर से कार्यदायी संस्था निर्धारित करते हुए ₹ 7.90 लाख की धनराशि प्रारम्भिक कार्यों हेतु निर्गत की गयी थी तदुपरान्त कार्यदायी संस्था बदले जाने के परिपेक्ष्य में निर्णय शीघ्र न हो पाने के कारण उक्त कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम को प्रथम किस्त की अवशेष राशि ₹ 237.25 लाख अवमुक्त नहीं की गयी। इकाई द्वारा उक्त निर्माण कार्य के विलंबित अवधि में भी पूर्ण न होने के संबंध में अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरांत संबन्धित कार्यदायी संस्था से स्वीकृत धनराशि के व्ययित होने के उपरांत भी निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब उक्त निर्माण कार्य के संबंध में ₹ 490.30 लाख के आगणन के सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांक 11023/02/2008-Education दिनांक-27.01.2011 के द्वारा उक्त धनराशि हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में ₹ 245.15 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी थी कि प्रथम किस्त के उपभोग किए जाने के उपरांत भौतिक प्रगति के आधार पर द्वितीय किस्त निर्गत की जाएगी तो शासन स्तर के पत्रांक 1657/XVII-1/2012-78 (स. क.)/2004 दिनांक 19 जुलाई 2012 के द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पिथौरागढ़ को प्रथम किस्त के अंतर्गत निर्गत पूर्ण धनराशि निर्गत न करते हुए मात्र ₹ 7.90 लाख की धनराशि निर्गत की गयी। जिसके परिणामस्वरूप ही उक्त निर्माण कार्य जो ₹ 490.30 लाख की धनराशि में पूर्ण

किया जा सकता था उस निर्माण कार्य पर विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ₹ 743.24 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के उपरांत ₹ 252.94 लाख की धनराशि का परिहार्य व्यय होने के बावजूद भी उक्त निर्माण कार्य संप्रेक्षा तिथि (अगस्त 2018) तक पूर्ण नहीं किया जा सका।

अतः विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप राजकीय बालिका आश्रम पद्यति विद्यालय, गोठी, पिथौरागढ़ के निर्माण पर ₹ 252.94 लाख की धनराशि के परिहार्य व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 1- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों को अपूर्ण रखा जाना।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जन जाति की है, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबन्धित योजना के वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि उक्त वर्षों मे शासन द्वारा विभाग को वर्ष 2015 से वर्ष 18 में 44 विकास निर्माण कार्यों हेतु कुल ₹ 344.46 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी जिसका विवरण निम्नन्वत है-

वर्ष	स्वीकृत निर्माण कार्य की संख्या/धनराशि प्राप्त होने का माह	योजना की कुल लागत	कुल आवंटित धनराशि	पूर्ण निर्माण कार्यों	पूर्ण निर्माण कार्यों पर व्यय राशि	अपूर्ण निर्माण कार्य	अपूर्ण निर्माण कार्यों पर व्यय राशि	कार्य जो प्रारम्भ नहीं हुए
2015-16	04/ फरवरी-16	67.89	67.89	02	38.06	02	29.83	शून्य
2016-17	06/दिसंबर-16	76.57	76.57	शून्य	शून्य	06	52.13	शून्य
2017-18	34/फरवरी-18	242.66	200.00	शून्य	शून्य	34	शून्य	34
योग	44	387.12	344.46	02	38.06	42	81.96	34

कार्यालय निदेशक, जन जाति कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून के उपरोक्त निर्माण कार्यों से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच (08/2018) में पाया गया कि वर्ष 2015 से 2018 तक उपरोक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृत लागत ₹ 387.12 लाख के सापेक्ष उत्तराखंड शासन द्वारा ₹ 344.46 लाख विभाग को अवमुक्त किए गए थे परंतु विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप वर्तमान संप्रेक्षा अवधि तक उपरोक्त विगत तीन वर्षों मे 44 स्वीकृत निर्माण कार्यों मे से मात्र वर्ष 2015-16 के दो निर्माण कार्य ही पूर्ण कराये गए थे तथा वर्ष 2015-16 के अवशेष 02 निर्माण कार्य तथा वर्ष 2016-17 के अवशेष 06 निर्माण कार्य ₹ 81.96 लाख के व्यय के उपरांत भी अपूर्ण थे तथा वर्ष 2017-18 के कुल स्वीकृत निर्माण कार्य पर स्वीकृति के 07 माह बाद भी वित्तीय प्रगति शून्य थी।

आगे अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया की उक्त वर्षो मे विभाग द्वारा न तो उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति बढ़ाने हेतु कार्यदायी संस्था को कोई निर्देश जारी किए गए एवं न ही उक्त निर्माण कार्यो की समीक्षा हेतु कोई निरीक्षण किया गया था जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्यो के अपूर्ण रहने से कार्य उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकी थी।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जनपदों से सूचना प्राप्त कर लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी जाएगी जो इंगित करता था कि निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा विगत तीन वर्षों मे कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने के उपरांत निर्माण कार्यो की प्रगति हेतु आवश्यक प्रयास नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य संप्रेक्षा अवधि (08/2018) तक अपूर्ण थे।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-02- "गौरा देवी" कन्याधन योजना के अंतर्गत विभागीय स्तर पर वर्ष 2016-17 से संबन्धित 478 अनुसूचित जनजाति की बालिका लाभार्थियों का उनको भुगतान की जाने वाली ₹ 238.75 लाख की धनराशि की सहायता राशि से वंचित रहना।

कार्यालय निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखंड, देहारादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 से संबन्धित अनुसूचित जनजाति की 478 बालिका लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली ₹ 238.75 लाख की धनराशि का भुगतान, उक्त योजना को समाज कल्याण विभाग से हटा कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" के रूप में संचालित किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 की अवशेष बालिका लाभार्थियों हेतु जनजाति कल्याण निदेशालय को बजट आबंटित न किए जाने के कारण, संप्रेक्षा तिथि (अगस्त 2018) तक नहीं किया जा सका था। जिसके परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत उक्त पात्र बालिका लाभार्थी विगत दो वर्षों से उक्त योजना के अंतर्गत उनको मिलने वाले लाभ से वंचित थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर निदेशक, जनजाति कल्याण, द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत अवशेष लाभार्थियों लाभान्वित किए जाने हेतु निदेशालय स्तर से प्रेषित अनुपूरक मांग का प्रस्ताव तथा राज्य आकस्मिकता निधि से प्रस्ताव स्वीकृत न होने के कारण संबन्धित लाभार्थियों को भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पाया तथापि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरांत शासन स्तर से पत्राचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ही जिन पात्र बालिकाओं को वर्ष 2016-17 में लाभान्वित किया जाना था वे संप्रेक्षा तिथि (अगस्त 2018) तक उक्त सहायता से वंचित थीं।

अतः विभागीय स्तर पर गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से संबन्धित 478 पात्र बालिका लाभार्थियों का ₹ 238.75 लाख की सहायता राशि से वंचित रहने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर संख्या :-3- अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए ₹ 11.29 लाख की सामग्रियों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर क्रय किया जाना।

उत्तराखंड शासन के वित्त (वे0आ0-सा0 नि0) अनुभाग-7 संख्या 130 /XXVII(7)32/2017 देह रादून दिनांक 14 जुलाई 2017 उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अध्याय 01 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार निम्न दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाय तथा अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नही किया जाना चाहिए और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा। साथ ही उक्त नियमावली के अध्याय दो के पैरा संख्या 35 के अनुसार समस्त विभागों में ढ़ाई लाख से अधिक की धनराशि की समस्त समाग्रीया एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति ई- प्रॉक्यूरमेंट के माध्यम से किया जायेगा।

कार्यालय के अधिप्राप्ति संबन्धित पत्रवालियों की जांच में पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि मे कुल 11.29 लाख की सामग्रियाँ अधिप्राप्ति ई- प्रॉक्यूरमेंट से बचने के लिए टुकड़ों में विभाजित करने के उपरांत क्रय की गयी। (विवरण संलग्न) जो कि अधिप्राप्ति नियमों के प्रतिकूल था ।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि बजट वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होने की वजह से एवं कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सामग्रियाँ क्रय की गयी। उत्तर मान्य नही था क्योकि सामग्रियाँ अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ही क्रय की जानी चाहिए थी।

अतः अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए ₹ 11.29 लाख की सामग्रियों छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर क्रय किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-04 :- भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही कार्यदायी संस्था को ₹ 123.58 लाख प्रदान किया जाना एवं भारत सरकार से कुल ₹ 1120.00 लाख की धनराशि प्राप्त होने के 6 माह के उपरांत भी कार्य प्रारम्भ न किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका VOL-VI के प्रस्तर संख्या 378 के अनुसार :- No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers.

जनपद ऊधसिंघनगर के विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में एक्लब्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना किए जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ, विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आगणित धनराशि 1253.18 लाख एवं विद्यालय के संचलनार्थ संभावित व्यय ₹ 403.32 लाख कुल ₹ 1683.50 लाख की धनराशि के प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु अग्रसारित किए जाने का अनुरोध किया गया था। इस परिपेक्ष्य में दिनांक 16.06.2017 को जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में Project Appraisal Committee की बैठक में विकासखंड बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर में एक्लब्य आदर्श आवासीय विद्यालय के भवन हेतु ₹ 1200.00 लाख की अनुमति प्रदान की तथा भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक 11015/5(24)/2017 दिनांक 07.11.2017 द्वारा ₹ 220.00 लाख की धनराशि तथा दिनांक 13.03.2018 को ₹ 900.00 लाख का कुल आबंटन ₹ 1120.00 लाख किया जा चुका था साथ ही शासन द्वारा अपने पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गए थे कि कार्य संचालित करने से पूर्व समस्त औपचारिकराए तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों को ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य को संपादित किया जाए।

निर्माण संबन्धित पत्रवालियों की जांच में पाया गया कि कार्यालय निदेशक जनजाति कल्याण उत्तराखंड देहरादून द्वारा मार्च 2018 में परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम उधमसिंहनगर से उक्त कार्य के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) किया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण होने की तिथि क्रमश: 03/2018 तथा 04/2020 थी तथा कार्यदायी संस्था को ₹ 123.58 लाख की धनराशि प्रदान कर दी गई थी । आगे अभिलेखो की जांच में पाया गया कि वर्तमान तक (08/18) लगभग छः माह व्यतीत होने के उपरांत भी कार्य वांछित भूमि उपलब्ध न होने के कारण संप्रेक्षा तिथि तक (08/2018) प्रारम्भ नही किया जा सका था।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि पूर्व में भूमि पर कोई विवाद नही था निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय आपत्ति की गई उत्तर मान्य नही था क्योंकि भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यदायी संस्था को धनराशि प्रदान नही की जानी चाहिए थी।

अतः इकाई द्वारा भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही कार्यदायी संस्था को ₹ 123.58 लाख प्रदान किया जाना एवं भारत सरकार से कुल ₹ 1120.00 लाख की धनराशि प्राप्त होने के 6 माह के उपरांत भी कार्य प्रारम्भ न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

भाग दो (ब)

प्रस्तर–5:– विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2017–18 के कुल 2285 पात्र लाभार्थियों के वर्तमान तक योजना का लाभ न मिलना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 95/XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 16 फरवरी 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभागीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोर्टल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किये गये थे कि समस्त छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु online आवेदन दिनांक 15.02.2018 को पत्र प्रस्तुत किया जाना समस्त औपचारिकताओ को पूर्ण करते हुए दिनांक 31.03.2018 तक सभी पात्र छात्रों के सीबीएस खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण कर दिया जाना था।

कार्यालय निदेशक जनजाति कल्याण देहरादून की दशमेत्तर छात्रवृत्ति से संबधित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 के कुल अनुमानित से पात्र लाभार्थियों को लेखा परीक्षा तिथि (अगस्त 2018) तक सत्यापन का कार्य भी पूर्ण नही किया जा सका था जिस कारण पात्र लाभार्थी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे।

उक्त के संबंध में इकाई को इंगित किये जाने पर इस संबंध में अवगत कराया गया कि सत्यापन का कार्य गतिमान है। इकाई के उत्तर से स्वंमेव पुष्टि होती है कि विभागीय शिथिलता के कारण पात्र लाभर्थी वर्तमान तक योजना का लाभ लेने से वंचित रहे।

अतः विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2017–18 के कुल 2285 पात्र लाभार्थियों को वर्तमान तक योजना का लाभ न मिलने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रति. सं.	वर्ष	भाग-दो(अ)प्रस्तर सं.	भाग-दो(ब) प्रस्तर सं.	STAN प्रस्तर सं.
26	2011-12	01,02	01,02,03	01
114	2012-13	01	01,02	01
92	2015-16	01	01,02	शून्य
43	2017-18	01	01,02,03,04	03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से संबन्धित अनिस्तारित प्रस्तरों की अदद्यतन अनुपालन आख्या प्रधान महालेखाकार (लेखा कार्यालय) उत्तराखंड, देहारादून को शीघ्र प्रेषित की जयीगी ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशक जनजाति कल्याण, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	**वी आर टम्टा**	निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति निदेशक जनजाति कल्याण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजकि क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)